

**\*@Shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट- सरहनीय कार्य दिनांक – 13.01.2023\***

**\*पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर की मानीटरिंग का सफल हुआ प्रयास,\***

**\*नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दिलायी सजा,\***

**\*अभियुक्त भीमसेन को 07 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड की सजा से कराया दण्डित।\***

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा माननीय न्यायालय के प्रकीर्ण वाद सं0 75/2015 मु0अ0सं0 294/15 धारा 363/366/376(1) भादवि व 3क/4 पाक्सो अधि0 थाना कलान शाहजहाँपुर को गम्भीरता से लेते हुये स्वयं मानीटरिंग की जी रही थी, उपरोक्त वाद का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु अभियोग की प्रत्येक तारीखों पर पुलिस मानीटरिंग सेल के साथ गोष्ठी करते हुये श्री सुनील कुमार प्रभारी निरीक्षक मानीटरिंग सेल को प्रभावी पैरवी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

\*पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशो को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस मानीटरिंग सेल द्वारा शीघ्रतापूर्ण प्रभावी पैरवी करते हुये एवं 75/2015 मु0अ0सं0 294/15 धारा 363/366/376(1) भादवि व 3क/4 पाक्सो अधि0 थाना कलान शाहजहाँपुर मे श्री राजीव अवस्थी एवं श्री दिलीप चौहान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं के प्रयासानुसार उक्त वाद मे सफलता हासिल की जिसमें नामित अभियुक्त भीमसेन पुत्र स्व0 बाबूराम नि0 ग्राम गुनारा, थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-8 द्वारा अन्तर्गत धारा 363 भादवि में 04 वर्ष कारावास तथा 4000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 366 भादवि के अपराध में 05 वर्ष कारावास तथा 5000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास एवं अन्तर्गत धारा 376 (1) भादवि व 3क/4 पाक्सो अधि0 में 07 वर्ष कारावास तथा 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।\*

**\*निस्तारित कराये गये वाद का विवरण:-\***

1- वाद सं0 75/2015 मु0अ0सं0 294/15 धारा 363/366/376(1) भादवि व 3क/4 पाक्सो अधि0 थाना कलान शाहजहाँपुर बनाम भीमसेन पुत्र स्व0 बाबूराम नि0 ग्राम गुनारा, थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर मे मा0 न्यायालय **ADJ-8** द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र कलान के ग्राम नौसना निवासी शिकायकर्ता के दिनांक 15.06.2015 को शिकायतकर्ता की नाबालिक पुत्री को आंधीजेई बाजार से बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए दिनांक 13.01.203 को 07 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनायी गयी।

**\*सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण:-\***

1. भीमसेन पुत्र स्व0 बाबूराम नि0 ग्राम गुनारा, थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

**\*अभियुक्त की सजा का विवरण:-\***

अन्तर्गत धारा 363 भादवि में 04 वर्ष कारावास तथा 4000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास तथा धारा 366 भादवि के अपराध में 05 वर्ष कारावास तथा 5000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास एवं अन्तर्गत धारा 376 (1) भादवि व 3क/4 पाक्सो अधि0 में 07 वर्ष कारावास तथा 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।\*

**\*मानीटरिंग सेल पुलिस टीम का विवरण:-\***

- 1- निरीक्षक श्री सुनील कुमार
- 2- हे0का0 अरुण पाण्डेय
- 3- काँ0 सुमित कुमार